

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)


!! परिपत्र !!

क्रमांक 62/दो-11-1/2007

हरदा, दिनांक 02/07/2024

इस न्यायिक जिला स्थापना के समस्त न्यायालयों/अनुभागों में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में लंबित प्रकरणों में साक्षीगण का इंड्राज किये जाने की कार्यवाही सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दिनांक 15.07.2024 तक करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में भी प्रविष्टि अद्यतन जारी रखें। सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर पर प्रोसेस जनरेट करने का कार्य भी अद्यतन जारी रखें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में पीठासीन/प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये, अन्यथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 787/दो-11-1/2007

हरदा, दिनांक 02/07/2024

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
3. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को ई-मेल व वाट्स-एप के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)